

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-05/स्था0/2010(खण्ड).....

पटना/दिनांक.....

प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ, से प्राप्त अनुशैसा के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (i) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994की धारा 3 में निहित प्रावधानों के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी के कार्य सम्पादन हेतु एक वर्ष के लिये शक्ति प्रदत्त की जाती है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अतिरिक्त प्रभार का पदनाम एवं जिला
1	श्री अशोक कुमार वरीय उपसमाहर्ता समाहरणालय, पूर्णियाँ	करारोपण पदाधिकारी समेकित जाँच चौकी, दालकोला (पूर्णियाँ)
2	श्री मुकेश कुमार वरीय उपसमाहर्ता समाहरणालय, पूर्णियाँ	करारोपण पदाधिकारी समेकित जाँच चौकी, दालकोला (पूर्णियाँ)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/02/2013

ज्ञापांक:- 3214.

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, राजकोय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना वित्त (वैयक्तिक दावा कोषांग) विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ/जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियाँ/ संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया। श्री अशोक कुमार एवं श्री मुकेश कुमार वरीय उप समाहर्ता सह करारोपण पदाधिकारी समेकित जाँच चौकी दालकोला, पूर्णियाँ/मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियाँ, दालकोला चेक पोस्ट आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग,परिवहन विभाग, बिहार पटना/ परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मि एवं संबंधित प्रवर्तन तंत्र/प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, 17/113

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।